(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1682-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-12-2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 243/अपील/2011-12.

---

1. दिलीप कुमार आत्मज छेदीलाल साहू
2. छेदीलाल आत्मज रामलाल साहू
   निवासीगण मछली बाजार बनखेड़ी
   तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. विजय कुमार आत्मज भगवानदास साहू
2. श्रीमती गायत्री देवी पति विजय कुमार साहू
   निवासीगण ग्राम चांदोन
   तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद
3. मदनलाल आतमज रामलाल साहू
   निवासी मछली बाजार बनखेड़ी
   तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद
4. ताराबाई पत्नी रघुनाथप्रसाद साहू
   निवासी बेनरजी कॉलौनी पिपरिया
   तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद
5. मुल्लोबाई पत्नी रविशंकर साहू
   निवासी ग्राम कूटगांव
   तहसील बावई जिला होशंगाबाद
6. इलायची बाई पत्नी मनीराम साहू (फौत)
   वारिसान (विजय कुमार और गायत्री देवी के द्वारा
   न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के समक्ष
   प्रस्तुत व्यवहार वाद में (वारिस अनिल उर्फ चीनी
   आ. मनीराम साहू निवासी रामगंज सोहागपुर बतलाया
   गया है, इस कारण उसका नाम तद्नुसार इस प्रकरण
   में शामिल किया जा रहा है)
7. अनिल उर्फ चीनी आत्मज मनीराम साहू (मृत)
   वारिसान-
   अ. श्रीमती मायाबाई पत्नी स्व. अनिल उर्फ चीनी
   ब. देवांशु आत्मज अनिल उर्फ चीनी

निवासीगण रामगंज वार्ड सोहागपुर
तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री आशीष गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1, 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 10-12-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक क्रमांक 1 दिलीप कुमार द्वारा तहसीलदार, बनखेड़ी के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खैरी किशोर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 4.00 एकड़ गुलाब बाई के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है । गुलाब बाई उसकी सगी चाची होकर उसके द्वारा आवेदक क्रमांक 1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है । गुलाब बाई लाऔलाद फौत हुई है, अतः वसीयतनामा के आधार पर मृतक गुलाब बाई के स्थान पर उसका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 51/अ-6/2003-04 पंजीबद्ध कर दिनांक 24-9-2004 को आदेश पारित कर मृतक गुलाब बाई के स्थान पर आवेदक क्रमांक 1 का नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 19-1-09 को विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 सहित प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ-6/2008-09 में दिनांक 31-7-2010 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य होने से अवधि विधान का धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-7-2010 के विरूद्ध प्रकरण अपर कलेक्टर एवं राजस्व मण्डल के समक्ष प्रचलित होकर राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 670-पीबीआर/12 में दिनांक 29-6-12 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई । तदोपरांत अनावेदक पक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-7-2010 के विरूद्ध आयुक्त, होशंगाबाद के समक्ष दिनांक 22-8-2012 को अवधि विधान की धारा 5 सहित अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 243/अपील/2012-13 में आदेश दिनांक 27-1-2015 द्वारा अपील समयावधि में मान्य करते हुए दिनांक 10-12-2015 को अंतिम आदेश पारित कर अनुविभागीय

अधिकारी का आदेश दिनांक 31-7-2010 इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को धारा 5 परिसीमा अधिनियम मामला गुणागुण पर विनिश्चित करके सारभूत न्याय करना चाहिए था, परिसीमा के नियमों से पक्षकारों के अधिकार नष्ट नहीं होते हैं । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

1. मौजा खैरी स्थिति भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 4 एकड़, ग्राम चांदोन स्थिति भूमि खसरा नम्बर 105, 120 एवं 158/1 रकबा 0.429/1.06/0.809/2.00 तथा ग्राम चांदोन की भूमि 8.139/20.11 कुल रकबा 9.337 हेक्टेयर/23.17 एकड़ एवं ग्राम खैरी की भूमि रकबा 4 एकड़ जुमला 27.17 एकड़ एवं दो मकान तथा बाड़ा के संबंध में नामांतरण आवेदकों के पक्ष में हो जाने के उपरांत अनावेदक विजय कुमार और गायत्री देवी द्वारा एक अपील मात्र ग्राम खैरी किशोर की भूमि के संबंध प्रस्तुत करना अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बतलाते हुए प्रस्तुत की, जिसमें धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 31-7-2010 के अनुसार विजय कुमार और गायत्री देवी का आवेदन पत्र उचित न पाते हुए निरस्त किया गया । विजय कुमार और गायत्री देवी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील क्रमांक 243/अपील/2011-12 प्रस्तुत की गई, जिसमें धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम एवं धारा 14 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष 23 माह दिन के विलम्ब को दिनांक 27-1-2015 को क्षमा करते हुए आवेदनों को स्वीकार किया गया ।

2. यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इस अपील में ग्राम कुड़ारी, ग्राम खैरी किशोर की भूमियों के संबंध में अपील ज्ञापन में विवरण दिया गया है । आयुक्त के समक्ष जब अपील की सुनवाई हुई तब आदेशिका दिनांक 21-2-2013 के अनुसार दस्तावेजों की कोई प्रतियां और आवेदन पत्रों की कोई प्रतिलिपियां प्रदाय आदेश के बाद भी नहीं दी गई, जिसके संबंध में आदेशिका के बाजू में स्पष्ट इंद्राज अधिवक्ता का है । इसके उपरांत आगामी दिनांक को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 एवं नियम 11 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसकी प्रतिलिपि प्रदाय की गई । दिनांक 6-2-2014 को उक्त आवेदनों का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा समय-सीमा के बिन्दु पर प्रकरण को नियत किया गया और समय-सीमा के बिन्दु पर दिनांक 9-10-2014 को सुना जाकर दिनांक 27-1-2015 को इस आवेदन को स्वीकार कर अंतिम बहस हेतु दिनांक 12-3-2015 नियत किया गया । आयुक्त द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 एवं 11 के आवेदनों का कोई निराकरण नहीं किया गया है, इस कारण अनावेदिका क्रमांक 6 इलायचीबाई की मृत्यु हो जाने

की सूचना दिनांक 22-2-2013 को हो जाने के बाद भी इलायचीबाई के वारिसानों देवेन्द्र साहू, कृष्ण कुमार साहू एवं अनिल साहू उर्फ चीनी को अभिलेख पर लाये बिना, अपील ज्ञापन में संशोधन किए बिना, नोटिस व समन्स निकाले बिना एवं उन्हें सुनवाई का बिना अवसर दिये मृतक इलायचीबाई के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो विधि अनुसार मान्य किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इस तरह से आयुक्त द्वारा अंतरिम आवेदन पत्र का निराकरण किए बिना, अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । आवेदकगण द्वारा लेखीय तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके संबंध में कोई भी विवेचना नहीं की गई है, अत: निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है ।

3. अनावेदक क्रमांक 3 मदनलाल के पागल/विक्षिप्त होते हुए उसके संमंस/नोटिस पर तहरीर आने के बाद भी उसके संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही न करना तथा अनुसूची 1 नियम 62/63 का पालन न करना भी विधि की गंभीर भूल है । पागल/विक्षिप्त व्यक्ति का कोई भी संरक्षक विजय कुमार द्वारा अपील में नहीं बनाया गया है, इसलिए पागल/विक्षिप्त व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश विधि विरूद्ध होकर निरस्त किए जाने योग्य है ।

4. प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर के समक्ष द्वितीय दीवानी अपील क्रमांक 980/2004 लंबित है, जिसका निराकरण अभी नहीं हुआ है । इस अपील प्रकरण में स्थगन आदेश भी जारी हुआ है, जो अभी प्रभाव में है ।

इसी बीच विजय कुमार और गायत्री देवी द्वारा एक व्यवहार वाद मौजा खेरी किशोर, कुड़ारी और चांदोन की भूमि के संबंध में न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 पिपरिया के समक्ष विजय कुमार बनाम छेदी लाल वगैरह प्रस्तुत किया है, जिसका प्रकरण क्रमांक 15 अ/2012 पंजीबद्ध होकर पेशी दिनांक 20-6-2019 वादी के साक्ष्य हेतु नियत है । इस दावे में विजय कुमार और गायत्री देवी ने उक्त दाविया सम्पत्ति के स्वत्वाधिकारी होने की घोषणा एवं सम्पत्ति का कब्जा दिलाने की प्रार्थना की है, जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक विजय कुमार एवं गायत्री देवी इस सम्पत्ति के भौतिक और वास्तविक कब्जे में नहीं हैं एवं स्वत्वाधिकारी भी नहीं है ।

5. आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-12-2015 की कोई सूचना आवेदकगण अथवा उनके अधिवक्ता को नहीं दी गई है और आदेशिका दिनांक 10-12-2015 में भी किसी भी पक्षकार की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है । प्रकरण आदेश से पक्षकारों को सूचना दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, किन्तु कोई सूचना पक्षकार को आज दिनांक तक नहीं दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि आयुक्त

द्वारा प्रकरण में निश्चित दिनांक को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तथा प्रकरण आदेश हेतु रखकर पक्षकारों की गैरहाजिरी में आदेश पारित किया गया है ।

6. आयुक्त द्वारा आदेशिका में पारित आदेश में अपील स्वीकार करने उल्लेख किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मूल अपील का कोई निराकरण नहीं कर मात्र धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रश्न विनिश्चित किया गया है । आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा मृत व्यक्ति के वारिसानों को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.ए. 908/2004 के अनुसार विजय कुमार और गायत्री देवी द्वारा अपील की गई है, जिसमें कुड़ारी तहसील बनखेड़ी की यही जमीन शामिल है एवं दिनांक 25-4-2004 को स्टे भी दिया गया है और यह प्रकरण दिनांक 29-1-2018 को सुनवाई हेतु लगा था । इस प्रकार इस अपील के लंबित रहते विजय कुमार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जो विधि अनुकूल नहीं है ।

7. मौजा कुड़ारी एवं मौजा खैरी किशोर दो ग्रामों के संबंध में विधि अनुसार दो अपीलें पेश होना चाहिए थी, किन्तु विजय कुमार द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें दोनों ग्रामों की जमीन का समग्र रूप से मिश्रण कर दिया गया है, इस कारण विजय कुमार द्वारा अपीलीय स्तर पर जो भी कार्यवाही की गई है, वह विधि अनुकूल नहीं होने निरस्त किए जाने योग्य है ।

8. आयुक्त के समक्ष भी अनियमित, अवैधानिक, असंगत और आधारहीन कार्यवाहियां उपरोक्त स्थिति में की गई है, इस कारण से प्रकरण में प्रक्रियात्मक भूलें की गई । अत: आयुक्त का आदेश भी विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता है ।

9. विजय कुमार द्वारा जिस वसीयतनामें को आधार बनाकर अपने आप को उक्त भूमि में स्वत्व होना दर्शाया है, उसे निम्न न्यायालयों ने विधि विरूद्ध होने से माना ही नहीं है ।

10. धारा 5 भारतीय समयाविध का आवेदन पत्र न्याय दृष्टांतों 2014, आर.एन. 132, एम.पी.वीकली नोट्स 2012, (भाग 1) नोट 10, एम.पी.वीकली नोट्स 2012 (भाग 1) नोट 44 एवं एम.पी.वीकली नोट्स 1998 (भाग 1) नोट 434 के आलोक में स्वीकार किया ही नहीं माना चाहिए था । उक्त न्यायिक स्थिति में आयुक्त का आदेश विधि विरूद्ध है ।

11. विधि का यह सर्वमान्य और साधारण सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक ही अनुतोष को दो अलग-अलग न्यायालयों में प्राप्त नहीं कर सकता । विजय कमार द्वारा इसी न्यायिक व्यवस्था के विपरीत

कार्यवाही की जा रही है, जो किसी भी रूप में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, इस स्थिति पर आयुक्त का आदेश विधि विरूद्ध है ।

12. विजय कुमार द्वारा एक अन्य पुनरीक्षण क्रमांक 948-पीबीआर/08 प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 4 मई 2009 को पारित आदेश द्वारा इसी भूमि के संबंध में निगरानी याचिका खारिज किया गया है।

13. एक अन्य वैधानिक बिन्दु यह है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान राजस्व न्यायालयों द्वारा उसी संपत्ति के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, जबकि उनके ज्ञान में इस तथ्य ला दिया जावे कि इसी संपत्ति से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । उपरोक्त स्थिति में आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

1. प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि आवेदक क्रमांक 2 छेदीलाल द्वारा श्रीमती गुलाबबाई के नाम दर्ज 1.619 हेक्टेयर भूमि के संबंध में तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक 39/अ-6/2001-02 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तहसील न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 27-6-2003 द्वारा मृतक गुलाबबाई के स्वामित्व की भूमि के संबंध में अनावेदकगण विजय कुमार एवं गायत्रीदेवी को पक्षकार माना है, जिससे यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 गुलाबबाई की सम्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रकरणों में वैधानिक उत्तराधिकारी होकर आवश्यक पक्षकार हैं, परन्तु आवेदक क्रमांक 1 दिलीप कुमार द्वारा कूटरचित वसीयतनामें के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को सूचना दिये बिना ही एकपक्षीय आधार पर अपना नामांतरण कराया गया है । अत: अधीनस्थ न्यायालय ने सभी बिन्दुओं पर नियमानुसार विचार करने के उपरांत अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

2. प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि आवेदकगण आपस में पिता-पुत्र हैं और उन्हें श्रीमती गुलाबबाई की सम्पत्ति प्राप्त करने का वैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि श्रीमती गुलाब बाई को अपने पिता के परिवार से प्राप्त हुई है । उपरोक्त स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण के संबंध में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) (क) के प्रावधान लागू होंगे ।

आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि को हड़पना चाहते थे, इसलिए आवेदक क्रमांक 2 छेदीलाल द्वारा फौती नामांतरण के आधार पर नामांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु जब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर वह गुलाबबाई की भूमि को हड़पने में कामयाब नहीं हो पायेगा तो उसके द्वारा वास्तविक वैधानिक उत्तराधिकारियों की जानकारी को छिपाते हुए अपने पुत्र आवेदक क्रमांक 1 के माध्यम से कूटरचित वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर आवेदक क्रमांक 1 का नामांतरण करवा लिया गया । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए उन्हें तहसील न्यायालय के प्रकरण की कोई जानकारी नहीं हुई । तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 सहित अपील प्रस्तुत की गई थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों एवं विधि के प्रावधानों पर नियमानुसार विचार किये बिना अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि बाह्य मानते हुए निरस्त किया गया था । अत: आयुक्त द्वारा उक्त सभी महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

3. प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि आवेदक क्रमांक 1 द्वारा जिस तथाकथित वसीयतनामें दिनांक 14-1-98 के आधार पर अपना नामांतरण कराया गया था, उसका स्टाम्प दिनांक 15-5-81 को किसी रमेशचन्द द्वारा किसी लच्छोबाई के नाम से क्रय किया गया है, कथित स्टाम्प पर गुलाब बाई के नाम का उल्लेख नहीं है । परिणाम स्वरूप कथित वसीयतनामा प्रथम दृष्टया ही कूटरचित एवं फर्जी है, इसलिए कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर किए गए नामांतरण के संबंध में समयावधि की बाध्यता लागू नहीं होती है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण के प्रभाव में आकर बिना किसी वैधानिक कारण के अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि बाह्य मानते हुए निरस्त किया गया था ।

4. विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि वसीयतनामें को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रमाणित किया जाना आवश्यक है । आवेदक क्रमांक 1 विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित वसीयतनामें को विधि के प्रावधानों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया गया है । आवेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियमकी धारा 63 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रमाणित नहीं होने से तहसील न्यायालय के समक्ष कथित वसीयतनामें के आधार पर किया

गया नामांतरण प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक था, इसलिए अवैधानिक नामांतरण की कार्यवाही पर समयावधि की बाध्यता लागू नहीं होती है ।

5. प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि श्रीमती गुलाबबाई द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 2-7-99 को पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, जिसमें श्रीमती गुलाबबाई ने अपनी समस्त सम्पत्ति का अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को दी गई है । श्रीमती गुलाबबाई द्वारा निष्पादित उक्त वसीयत के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत दिनांक 2-7-99 को प्रमाणित मानते हुए श्रीमती गुलाब बाई की समस्त सम्पत्ति का आदेश दिनांक 3-5-2015 द्वारा बटवारा एवं नामांतरण अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के पक्ष में करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व रिकार्ड में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का नामांतरण नहीं हो सका । परिणामस्वरूप आयुक्त द्वारा उक्त सभी महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किये जाने के बाद अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

6. आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखित तर्कों में वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन होने का उल्लेख किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ग्राम खैरी किशोर की भूमि के संबंध में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है । वास्तविकता यह है कि आवेदक क्रमांक 2 के पुत्र दिनेश द्वारा ग्राम कुण्डारी एवं अन्य 1157 भूमि के संबंध में भी श्रीमती गुलाब बाई के पति के नाम से कूटरचित वसीयतनामा निष्पादित कर गुलाबबाई के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि पर अपना नामांतरण कराने का प्रयास किया था था, जिसके विरूद्ध गुलाबबाई द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुत किया था । व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 द्वारा प्रकरण क्रमांक 15 ए/99 में पारित निर्णय दिनांक 31-3-2001 द्वारा आवेदक के पुत्र दिनेश द्वारा बनायी गई कथित वसीयत कूटरचित एवं फर्जी मानते हुए निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदक के पुत्र दिनेश द्वारा प्रथम अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो स्वीकार की गई । जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रकरण क्रमांक 980/2004 में दर्ज होकर वर्तमान में विचाराधीन है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कूटरचित एवं फर्जी वसीयतनामें में उल्लेखित भूमि को विक्रय न करने के संबंध में स्थगन

आदेश जारी किया गया है । न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण से उक्त प्रकरण का कोई संबंध नहीं है, इसलिए अन्य भूमि के संबंध में जारी स्थगन का न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में की जानी वाली न्यायालयीन कार्यवाही को स्थगित करने के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है, किन्तु आवेदकगण ने केवल न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से अपने लिखित तर्कों में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन और अन्य न्यायालयों मे कार्यवाही विचाराधीन होने का उल्लेख किया है ।

7. आवेदकगण द्वारा अपने लिखित तर्क में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 2 के संबंध में आपत्ति उठाई गई है, परन्तु आवेदकगण द्वारा अंतिम आदेश पारित होने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है । आवेदकगण द्वारा स्व. इलायचीबाई के उत्तराधिकारियों को न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया गया है, परन्तु सूचना उपरांत भी उनके कोई भी वैधानिक उत्तराधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए प्रकरण से संबंधित पक्षकारों के कोई भी हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गुण-दोष पर आदेश पारित करने से पूर्व सभी हितबद्ध पक्षों को अपने पक्ष समर्थन का पूर्ण अवसर प्राप्त है ।

8. आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने लिखित तर्क में मदनलाल के पागल होने का उल्लेख किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष स्व. गुलाबबाई की सम्पत्ति के संबंध में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में आवेदकगण के अभिभाषकगण द्वारा मदनलाल की ओर से पक्ष समर्थन वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है है । आवेदकगण द्वारा मदनलाल के पागल होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदकगण त्रुटिपूर्ण तथ्यों के आधार पर केवल न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है ।

9. आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई वैधानिक आधार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई विचाराधीन कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण माना जा सके । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

10. तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का नामांतरण किए जाने के पूर्व अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि नामांतरण के पूर्व उन्हें नियमानुसार सूचना दिया जाना आवश्यक था । अत: सूचना के अभाव में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 विवादित नामांतरण के संबंध में समय-सीमा में कोई कार्यवाही नहीं कर सके, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी आवेदकगण के प्रभाव में आकर बिना किसी वैधानिक कारण के अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि बाह्य मानते हुए निरस्त किया गया था । अत: आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

11. विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि समयावधि बाह्य प्रकरणों में न्यायालय को सद्भावनापूर्व विचार करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे पक्षकारों को उचित न्याय प्राप्त हो सके । विचारधीन प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा जानबूझकर विलम्बकारित नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब के आधार पर अनावेदक क्रमांक1 व 2 को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि बाह्य मानते हुए निरस्त किया गया था । परिणामस्वरूप आयुक्त द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

12. आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लिखित तर्कों में विभिन्न न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है, परन्तु उक्त न्याय दृष्टांत के तथ्य एवं इस प्रकरण के तथ्य पृथक-पृथक होने से इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं ।

13. व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश, प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजोंएवं विधि के प्रावधानों के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरण को प्रमाणित करने में पूर्णत: सफल रहे हैं ।

उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के ग्राह्यता के बिन्दु पर विचारोपरांत निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर, प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति हैं, किन्तु तहसील न्यालय द्वारा उन्हें बिना पक्षकार बनाये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है । अत:

तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी उन्हें नहीं होना स्वाभाविक है । अत: अनुविभागीय अधिकारी को अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील में विलम्ब के संबंध में बताये गये कारणों का परीक्षण एवं दस्तावेजों का परिशीलन करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में भूल की गई है । उपरोक्त स्थिति में आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । वैसे भी प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । इस संबंध में 1996 आर.एन. 351 यशवंत सिंह चौधरी विरूद्ध म.प्र. राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 5 - विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिए - सामान्यत: विलंब माफ किया जाना चाहिए तथा मामला सुनकर गुणागुण पर विनिश्चित किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में आयुक्त द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 10-12-2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर